

प्रेमक,

विश्व प्रकाश सुमन  
समुदाय सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
विभाग-2 समुदाय केन्द्र,  
प्रीति सिलार, नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

लक्ष्य: दिनांक: 09 जुलाई 2004

विषय:-

से. वि. वि. काई. काई. व. व. की सी. सी. सी. नई दिल्ली से संबन्धित प्रश्न  
अनापत्ति प्रमाण पत्र दिने वाले के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह बताने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विधानय को सी. सी. सी. नई दिल्ली से संबन्धित हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- 111 विधानय की पंजीकृत सौतेपटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विधानय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विधानय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मध्याधीन वर्गों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ. प्र. सी. सी. शिक्षा परिषद द्वारा संघालित विधानयों में विभिन्न लक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विधानय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा वार्षिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विधानय की संरक्षण केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोसिल फार दि इण्डियन स्कूल स्टडीफिकेट इकाजिनेश नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबन्धता प्राप्त होने की तिथि से उ. प्र. सी. सी. शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

Principal  
St. Xavier's High School  
Dwijesh Marg, BASTI

---2---

Manager  
St. Xavier's High School  
Dwijesh Marg, Basti

- 15। संस्था के शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य धेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम धेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 16। कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायीं जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यामिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 17। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 18। विद्यालय का रिजार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- 19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की बूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भद्रीय,


। विमप्रकाश गुप्त ।  
संयुक्त सचिव ।

पू०संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, ~~बस्ती~~ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, ~~बस्ती~~ ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय 3090, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, ~~सेंट जेवियर हाई स्कूल बस्ती~~ ।
- 6- गार्ड फ़ाइल ।

  
Principal  
St. Xavier's High School  
Dwljesh Marg, BASTI

आज्ञा है

। विम प्रकाश गुप्त ।  
संयुक्त सचिव ।

  
Manager  
St. Xavier's High School  
Dwljesh Marg, Basti